

**बिहार सरकार
परिवहन विभाग**

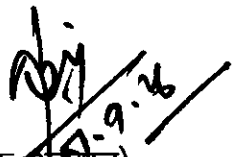
आमजन कृपया ध्यान दें।

पत्रांक-02/विविध-17/2026 (पार्ट), परि0- 7355 पटना, दिनांक- 03.02.26

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में राज्य अन्तर्गत पूर्व में ऑफलाईन माध्यम से निबंधित सभी वाहनों के बैकलॉग इन्ट्री हेतु विभागीय स्तर से निर्गत दिशा-निर्देशों के आलोक में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेशित कागजातों यथा Form-21, Form-22, Sale/Retail Invoice एवं 1st time Insurance के उपलब्ध होने की स्थिति में संबंधित जिला परिवहन कार्यालय स्तर पर बैकलॉग इन्ट्री की कार्रवाई की जा रही है तथा उपर्युक्त निर्धारित कागजातों में से कोई भी कागजात अनुपलब्ध होने की स्थिति में बैकलॉग इन्ट्री की अनुमति हेतु State Admin के स्तर से आवश्यक कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है।

आम नागरिकों को अपने वाहन के बैकलॉग इन्ट्री हेतु विभागीय पत्रांक-1112, दिनांक-10.02.2026 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है।

विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा एवं समीक्षोपरान्त दिये गये निदेश के आलोक में सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य अन्तर्गत वैसे सभी वाहन जो ऑफलाईन माध्यम में निबंधित हुए हैं, को दिनांक-31.12.2026 तक अपने वाहन से संबंधित उपरोक्त वर्णित सभी/यथास्थिति उपलब्ध कागजातों, निबंधन प्रमाण-पत्र (Form-23), वाहन स्वामी का आधार कार्ड एवं वाहन से संबंधित अन्य कागजातों के साथ संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में बैकलॉग इन्ट्री की कार्रवाई हेतु ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से आवेदन समर्पित किया जाय, अन्यथा उक्त अवधि के पश्चात् वैसे सभी वाहन जिनका बैकलॉग इन्ट्री किसी भी कारणवश नहीं किया जा सका हो, अमान्य घोषित कर दिए जायेंगे।


(आरिफ अहमद)

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।